अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

कांशी राम,–*अपीलकर्ता।*

बनाम

तरलोक सिंह, –*प्रतिवादी।*

1958 की नियमित प्रथम अपील संख्या 76।

- 11 मार्च, 1969।

"सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अध्याय V) – आदेश 26, नियम 11, 12 और 16 – प्रबंध पक्षों के खातों की जांच के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त – खातों की मान्यता पर सवाल उठाया गया – ऐसे आयुक्त – क्या उपाधिक्षेत्र में साक्षात्कार और आरोपों की सच्चाई का पता लगाने का अधिकार है।"

साक्ष्य अधिनियम (*1872* का 1) *धारा* 115 *एस्टोपेल - स्थानीय आयुक्त के समक्ष एक प्रस्ताव के लिए सहमत होने वाले मुकदमे के पक्षकार - क्या ऐसी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने से रोका गया है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 के नियम 11, 12 और 16 को पढ़ने से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि खातों की जांच करने के लिए नियुक्त आयुक्त का कार्य केवल जोड़ा, घटाव और गुणा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके लिए खुला है कि वह साक्ष्य दर्ज करके यह पता लगा सकें या अन्यथा कि क्या उन पुस्तकों में दिखाई देने वाली प्रविष्टियां वास्तव में सही तस्वीर

देती हैं। खाते, या दूसरे शब्दों में यदि खाता पुस्तिकाएं काल्पनिक हैं। यह प्रविष्टियों की सच्चाई है जिसकी जांच आयुक्त द्वारा की जानी है, न कि वास्तव में लेखा पुस्तकों में कुछ प्रविष्टियां दिखाई देती हैं या नहीं।

जब किसी आयुक्त के समक्ष यह आरोप लगाया जाता है कि प्रविष्टियां तथ्यों की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और गलत तरीके से की गई हैं, तो उन आरोपों की जांच करना और सच्चाई तक पहुंचना उनके अधिकार क्षेत्र में होगा ताकि रिपोर्ट मुख्य रूप से अदालत की सहायता कर सके। पक्षकार सिविल कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पर आपत्तियां उठा सकते हैं, जिसके पास आयुक्त की रिपोर्ट की सहायता से खातों की शुद्धता का पता लगाने का अवसर भी होगा। यदि आयुक्त को ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो सिविल न्यायालय के कार्यों का कोई त्याग नहीं होता है। एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने का उद्देश्य खातों को सही ढंग से समझने के लिए सहायता प्राप्त करना है ताकि एक सिविल कोर्ट पार्टियों की देयता के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो सके। एक आयुक्त की सिफारिश को एक सिविल कोर्ट के निष्कर्षों के साथ समान नहीं किया जा सकता है और भले ही वह अपनी सिफारिश को एक खोज के रूप में वर्णित करता है, फिर भी पार्टियों के लिए स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियों को प्राथमिकता देना खुला है और सिविल कोर्ट को सबूत लेने और स्थानीय आयुक्त की जांच करने के बाद अंततः निर्णय लेना है, यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट सही है या नहीं, या खातों की सही स्थिति क्या है।

(पैरा 13)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी मुकदमे के पक्षकार स्वयं स्थानीय आयुक्त के समक्ष अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सहमत होते हैं और उसके समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं, तो उनके लिए उस प्रक्रिया की वैधता को बाद में या तो प्रथम मामले की अदालत में या

अपील की अदालत में चुनौती देना खुला नहीं है।

(पैरा 11)

श्री नाथू राम शर्मा, सब-जज, प्रथम श्रेणी, करनाल की अदालत के निर्णय से 28 जनवरी, 1958 की तारीख को, जिसमें प्रवादी को अंतिम निर्णय के रूप में 10,517 रुपये, 10 अने, 6 पैसे के साथ लागत की अनुमति प्राप्त हुई, के खिलाफ पहली अपील।

अपीलकर्ता की ओर से वकील रूप चंद और आरएल शर्मा।

प्रतिवादी की ओर से वकील शंभू लाल पुरी और मुनीश्वर पुरी।

निर्णय।

सोधी, जे.– यह नियमित पहली अपील न्यायालय के निर्णय और अंतिम निर्णय के खिलाफ है, जो 28 जनवरी, 1958 को हुआ था, जिसमें साथ ही साथी के विघटन और खाता की सुरक्षा के लिए दावा को मंजूरी दी गई थी, जिसमें प्रवादी का दावा था कि रुपए के 10,517-10-6 की मात्रा के लिए और लागत के साथ दूसरे तरफ रख दी गई थी। प्रवादी प्रतिक्रियाधीन ने भी यह याचिका की है कि उसके पक्ष में पहले ही तय की गई राशि के अलावा 8,000 रुपये की अतिरिक्त राशि को भी अनुमति दी जाए। इस निर्णय द्वारा यह अपील और प्रतिक्रिया दोनों ही सुलझा दी जाएगी।

(2) मामले के तथ्य काफी सरल हैं। तरलोक सिंह वादी प्रतिवादी और कांशी राम प्रतिवादी अपीलकर्ता ने 5 फरवरी, 1949 को निष्पादित एक विलेख के आधार पर साझेदारी में प्रवेश किया। साझेदारी व्यवसाय में जंगलों में लकड़ी की खरीद, लकड़ी की कटाई, लकड़ी की बिक्री और ईंट भट्टों को चलाना शामिल था। पार्टियों ने कुछ समय के लिए एक साथ अपना व्यवसाय जारी रखा। वाद पत्र में दी गई जानकारी के

अनुसार, साझेदारी ने मौजस त्रावरी, सुल्तानपुर, ख्वाजा अहमदपुर आदि में ईंट भट्टों का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन साझेदारी विलेख में निहित शर्तों के मद्देनजर 'खाता पुस्तिका प्रतिवादी अपीलकर्ता के कब्जे में थी। आरोप यह है कि प्रतिवादी ने पूरी नकदी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और खाता पुस्तकों में सही प्रविष्टियां नहीं कीं। तब वादी ने 14 अक्टूबर, 1955 को प्रतिवादी को एक नोटिस दिया, जिसमें उसे लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए 25 अप्रैल,1956 को एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें मैसर्स कांशीराम तरलोक सिंह के नाम और शैली के तहत काम कर रही साझेदारी फर्म को भंग करने और खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्णय करने का अनुरोध किया गया था।

(3) प्रतिवादी अपीलकर्ता ने अपना लिखित बयान दायर किया और एक पूर्व-आपत्ति ली गई कि फिरोजी लाई भी एक आवश्यक पक्ष था क्योंकि ख्वाजा अहमदपुर और सुल्तानपुर में ईंट भट्टे उक्त फिरोजी लाई के साथ एक भागीदार के रूप में शुरू किए गए थे। यह स्वीकार किया गया कि पार्टियों ने साझेदारी में प्रवेश किया और कुछ समय के लिए अपना व्यवसाय जारी रखा, लेकिन दलील यह थी कि वादी को ग्राहकों से कुछ वसूली करनी थी और उसने बाद में खातों को प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि व्यवसाय के समापन के बाद बची कुछ ईंधन लकड़ी को वादी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस लकड़ी को वादी द्वारा बेचे जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन प्रतिवादी को इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया था। वादी द्वारा 16 जुलाई, 1956 को एक पुनरावृत्ति दायर की गई थी, जिसमें इस बात से इनकार किया गया था कि फिरोजी लाई को वादी और प्रतिवादी की साझेदारी से कोई लेना-देना था। चूंकि साझेदारी के अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा था, इसलिए दोनों पक्षों के वकीलों ने 16 जुलाई, 1956 को एक बयान दिया, जिसमें प्रार्थना की गई कि एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए और खातों की जांच करने के लिए

एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया जाए। पक्षकारों के वकीलों के बयान के संदर्भ में एक डिक्री पारित की गई और करनाल के वकील श्री मनोहर लाई घंभीर को स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया।

(4) प्रतिवादी अपीलकर्ता ने साझेदारी से संबंधित अपनी खाता पुस्तिकाओं का उत्पादन किया और वादी प्रतिवादी को इसका निरीक्षण करने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी का मामला यह था कि 1 नवंबर, 1950 से शुरू होने वाली खाता रजिस्टर और रोकर, यानी नकदी पुस्तकों जैसी कुछ लेखा पुस्तकों को ले जाया गया था। एक बंदर ने और उसके द्वारा कई पन्ने फाड़ दिए गए थे। अधिकांश प्रविष्टियों को इस परिणाम के साथ पुनर्जीवित किया गया था कि स्थानीय आयुक्त के लिए यह पता लगाना आवश्यक हो गया था कि खातों की वास्तविक स्थिति क्या थी। पार्टियों के बीच क्रेडिट और डेबिट से संबंधित विभिन्न मदों को स्थापित करने के लिए, वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा स्थानीय आयुक्त के समक्ष सबूत पेश किए गए थे। वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए गवाहों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है और यह उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है कि पक्षकारों के गवाहों की जांच करने के बाद, जिसमें स्वयं पक्ष भी शामिल हैं, स्थानीय आयुक्त ने 31 मार्च, 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनका विचार था कि वादी को प्रतिवादी को मूलधन के रूप में 7,910-6-6 रुपये और ब्याज के रूप में 1,440 रुपये का भुगतान करना चाहिए, इस प्रकार जलाऊ लकड़ी के व्यवसाय और तरावरी में ईंट-भट्ठा व्यवसाय के कारण कुल राशि 9,350-6-0 रुपये है। अन्य दो ईंट भट्टों के संबंध में, स्थानीय आयुक्त का निष्कर्ष यह था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता ने जानबूझकर उन भट्टों के खातों को जानबूझकर छुपा रखा था ।

(5) वादी और प्रतिवादी ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति याचिकाओं को प्राथमिकता दी। श्री मनोहर लाल घंबीर की भी पीडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की गई थी। वादी के वकील ने 15 अप्रैल, 1957 को अदालत में कहा कि तरावरी में भट्टे से संबंधित खाते, जो प्रतिवादी द्वारा स्थानीय आयुक्त के समक्ष पेश किए गए थे, काल्पनिक थे और प्रतिवादी के पास खातों का एक तीसरा सेट था जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर रहा था। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट और उस पर आपत्तियां दाखिल करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी और प्रतिवादी दोनों की ओर से साक्ष्य दर्ज किए गए थे। इससे पहले कि अदालत कोई निर्णय ले पाती, दोनों पक्षों के वकीलों ने एक संयुक्त बयान दिया कि रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और कमल के वकील श्री हरि राम को नया स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया जाए।

(6) पक्षकारों के वकील के बयान पर कार्रवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट ने श्री मनोहर लाल गंभीर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रद्द कर दिया और श्री हरि राम को नया स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया। उन्हें 28 अगस्त, 1957 के आदेश द्वारा उन खातों और सबूतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था जो पहले ही श्री मनोहर लाल गम्भीर, स्थानीय आयुक्त और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके थे। नए स्थानीय आयुक्त को एक और निर्देश दिया गया कि वह उक्त खातों और सबूतों के आधार पर खातों का विवरण तैयार करें और फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या साझेदारी व्यवसाय में कोई लाभ या हानि हुई थी और कितनी राशि, यदि कोई थी, और किस पार्टी को देय थी। यह माना जा सकता है कि ये निर्देश पक्षों के वकील द्वारा दिए गए संयुक्त बयान के संदर्भ में दिए गए थे। श्री हरि राम, नए स्थानीय आयुक्त, तदनुसार 9 अक्टूबर,

1957 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा इस रिपोर्ट पर फिर से आपत्तियां दर्ज की गईं और श्री हरि राम 25 अक्टूबर, 1957 ट्रायल कोर्ट में एक गवाह के रूप में पेश हुए। श्री हरि राम के बयान के बाद, यह पता चला कि कुछ मामलों को अभी भी स्पष्ट किया जाना बाकी है और स्थानीय आयुक्त को खातों की पूरी जांच के बाद एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। स्थानीय आयुक्त ने वादी और प्रतिवादी की आपत्तियों का निपटारा करते हुए 10 नवंबर, 1957 को फिर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(7) मामला यहीं शांत नहीं हुआ और पक्षकारों ने दूसरी रिपोर्ट पर भी आपत्ति दर्ज करा दी। पक्षकारों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों का संदर्भ दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि विवाद का एक मुख्य विषय प्रतिवादी के दावे के बारे में था कि उसे 2,000 मौंड लकड़ी की कीमत के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए था, जिसे हरनाम सिंह तरलोक सिंह को खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और तारावारी में जो इंटों का स्टॉक पड़ा हुआ था, जो साझेदारों के बीच बराबरी से बाँट दिया गया था। स्थानीय आयुक्त की राय थी कि प्रतिवादी की इन दोनों आपत्तियों के बारे में, रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत या अन्य विश्वसनीय सबूत उपलब्ध नहीं था जो उसे संतुष्ट कर सके कि प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे सही थे।

(8) जब दूसरी रिपोर्ट के बाद मामला अदालत में आया, और दोनों पक्षों द्वारा आपत्तियां और जवाब दायर किए गए थे, तो स्थानीय आयुक्त श्री हरि राम एक गवाह के रूप में पेश हुए। 31 दिसंबर, 1957 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश में यह पाया जाना है कि पार्टियों को सभी तथ्यों के संबंध में अपने सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया

था, लेकिन वादी ने कोई और सबूत पेश नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नई आपत्तियां उठाईं जो कभी भी स्थानीय आयुक्त के समक्ष नहीं उठाई गईं और न ही इससे संबंधित कोई सबूत पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट, हमारी राय में, वादी को नई आपत्तियां उठाने और उनके संबंध में सबूत जोड़ने की अनुमति नहीं देने में पूरी तरह से उचित था, जब ये आपत्तियां स्थानीय आयुक्त के समक्ष विवाद का विषय नहीं थीं।

(9) जैसा कि पहले ही कहा गया है, प्रतिवादी मुख्य रूप से आंदोलन कर रहा था कि 2,000 मॉन्ड्स लकड़ी की कीमत तरलोक सिंह को डेबिट की जानी चाहिए थी क्योंकि इसे हरनाम सिंह तरलोक सिंह को हस्तांतरित कर दिया गया था। हमारे सामने यह साझा आधार है कि हरनाम सिंह तरलोक सिंह के पिता हैं। स्थानीय आयुक्त अपने बयान में अदालत में बयान में कहा गया है कि प्रविष्टियां ऐसी थीं जो खातों के अंत में किसी भी समय की जा सकती थीं। हमने प्रविष्टियों को भी देखा है और स्थानीय आयुक्त द्वारा गठित राय से अलग होने का कोई कारण नहीं मिला है। यह खातों के बंद होने पर दिए गए एक नोट के रूप में सिर्फ एक बयान है, जिसमें हरनाम सिंह तरलोक सिंह को 2,000 मॉन्ड्स लकड़ी के हस्तांतरण का सुझाव दिया गया है। अकाउंट बुक प्रतिवादी के पास थी और इस तरह का नोट किसी भी समय बनाया जा सकता था। उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि त्रावरी में ईंट-भट्ठे को भागीदारों के बीच समान शेयरों में विभाजित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 28 जनवरी, 1958 को पारित अपील के तहत अपने फैसले से थोड़े संशोधन को छोड़कर प्रतिवादी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। वादी की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार मुकदमे की लागत के साथ 10,517-10-6 रुपये की राशि के लिए एक

डिक्री प्रतिवादी के खिलाफ वादी के पक्ष में पारित की गई थी।

(10) अपीलकर्ता के वकील रूप चंद ने यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत को इंगित नहीं किया है कि स्थानीय आयुक्त द्वारा किए गए खातों का मूल्यांकन के समय कोई प्रमाण है जिससे सिद्ध हो कि साक्षात्कार और स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के ठीक जांच के बाद जो खाता का मूल्यांकन किया गया था, वह गलत था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपने मुवक्किल द्वारा दायर की गई आपत्तियों को दोहराया है। प्रतिवादी की आपत्तियां (1) और (2) तरलोक सिंह हरनाम सिंह को 2,000 मौंड लकड़ी के कथित हस्तांतरण और ट्रावरी में पार्टियों के बीच समान रूप से ईंटों के वितरण से संबंधित थीं। स्थानीय आयुक्त और ट्रायल कोर्ट दोनों ने क्रमशः अपनी रिपोर्ट और फैसले में देखा है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए इस कथन के समर्थन में कोई सबूत नहीं था। जब चौधरी रूप चंद को इस न्यायालय में फिर से किसी भी सबूत को इंगित करने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा नहीं कर सके। बल्कि उन्होंने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। ये दो मुख्य आपत्तियां थीं जिनके संबंध में उन्होंने जोरदार तर्क दिया।

(11) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि स्थानीय आयुक्त के पास कानून के तहत सबूतों की जांच करने और पार्टियों पर दायित्व तय करने के लिए अपने निष्कर्ष देने की कोई शक्ति नहीं थी। तर्क यह है कि स्थानीय आयुक्त का अधिकार क्षेत्र उनके द्वारा पुस्तकों को पढ़ने और खातों का विवरण तैयार करने तक ही सीमित है, न कि वह यह पता लगाने के लिए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच कर सकता है कि बहीखातों में की गई प्रविष्टियां सही स्थिति देती हैं या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब खातों की पुस्तकों

की वास्तविकता को चुनौती दी जाती है, तो स्थानीय आयुक्त को अपने हाथों में रहना चाहिए और केवल सिविल कोर्ट ही जो ऐसी पुस्तकों की वास्तविकता या अन्यथा के बारे में निर्णय ले सकता है। इस संबंध में हमारा ध्यान विद्वान परामर्शदाता *के* रूप में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या द्वारा आकृष्ट किया गया है। अस्सारमल और अन्य बनाम *हुंडोमल और अन्य (1), तुलसी राम* बनाम *दीना नाथ और अन्य (2) राम कृष्ण मुराजी बनाम रतन चंद और एक अन्य* (3); *भरत चंद्र चक्रवर्ती* बनाम भारत *किरण चंद्र राय* (4) । इनमें से कोई भी मामला अपीलकर्ता की मदद नहीं कर सकता है। विद्वान वकील द्वारा दिए गए कानूनी प्रस्ताव से निपटने से पहले, यह बताया जा सकता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को स्थानीय आयुक्त द्वारा अपने प्रतिनिधि और वादी प्रतिवादी के कहने पर की गए प्रक्रिया को चुनौती देने से निर्धारित किया गया है। दोनों ने एक अनुकूल निर्णय के लिए अपना मौका लेते हुए स्थानीय आयुक्त के समक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की। बही-खातों में प्रविष्टियों की सच्चाई की जांच करने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के स्थानीय आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई आपत्ति उनके समक्ष नहीं उठाई गई थी और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी नहीं। वर्तमान अपील में यह पहली बार है कि स्थानीय आयुक्त द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता के बारे में आपत्ति ली जा रही है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी मुकदमे के पक्षकार स्वयं स्थानीय आयुक्त के समक्ष अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सहमत होते हैं और उसके समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं, तो उनके लिए उस प्रक्रिया की वैधता को बाद में या तो पहली बार की अदालत में या अपील की अदालत में चुनौती देना खुला नहीं है।

(12) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने में भी गलती की है कि एक स्थानीय आयुक्त खातों की जांच करते समय साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। 'खातों की जांच करने के लिए आयोगों' से संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26, नियम 11 और 12 में निहित हैं। ये प्रावधान निम्नानुसार हैं -

> "किसी भी मुकदमे में जिसमें खातों की जांच या समायोजन आवश्यक है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक आयोग जारी कर सकता है जो वह उचित समझे उसे ऐसी परीक्षा या समायोजन करने का निर्देश दे।

(13) (1) न्यायालय आयुक्त को कार्यवाहियों का ऐसा भाग और ऐसे अनुदेश प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक प्रतीत होते हैं, और अनुदेश स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेंगे कि क्या आयुक्त उन कार्यवाहियों को प्रेषित करने के लिए मुझ पर निर्भर है जो वह जांच के संबंध में रख सकता है या अपनी परीक्षा के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर अपनी राय भी प्रस्तुत करेगा।

(2) आयुक्त की कार्यवाही और रिपोर्ट (यदि कोई हो) वाद में साक्ष्य होगी, लेकिन जहां न्यायालय के पास उनसे असंतुष्ट होने का कारण है, वह ऐसी आगे की जांच का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(1) ए.आई.आर. 1925 सिंध 265
(2) ए.आई.आर. 1926 लाह। 145
(3) ए.आई.आर. 1931 पी.ओ. 136
(4) ए.आई.आर. 1925 कैल. 1069 .

एक अन्य नियम 16 है जो प्रकृति में सामान्य है और निम्नलिखित शब्दों में है: -

"16. इस आदेश के अधीन नियुक्त कोई आयुक्त, जब तक कि नियुक्ति के आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, -

(अ) पक्षकारों की स्वयं और किसी भी गवाह की जांच करें जिसे वे या उनमें से कोई भी पेश कर सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयुक्त उसे संदर्भित मामले में सबूत देने के लिए बुलाना उचित समझता है;

(आ) जांच के विषय से संबंधित दस्तावेजों और अन्य चीजों की जांच और जांच करना;

(इ) किसी भी उचित समय पर उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करें

आदेश 263 के तीन नियमों को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह पैदा नहीं होता है कि खातों की जांच करने के लिए नियुक्त आयुक्त का कार्य केवल जोड़ने, उप-झुकाव और गुणा करने तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील चाहते हैं कि हम इसे रखें, लेकिन, हमारी राय में, यह उनके लिए खुला है कि वे साक्ष्य दर्ज करके पता लगाएं या अन्यथा उन पुस्तकों में दिखाई देने वाली प्रविष्टियां वास्तव में सही हैं या नहीं। खातों की तस्वीर, या दूसरे शब्दों में यदि खाता पुस्तिकाएं काल्पनिक हैं। यह प्रविष्टियों की सच्चाई है जिसकी जांच आयुक्त द्वारा की जानी है, न कि यह कि वास्तव में कुछ प्रविष्टियां लेखा पुस्तकों में दिखाई देती हैं या नहीं। जब किसी आयुक्त के समक्ष यह आरोप लगाया जाता है कि प्रविष्टियां तथ्यों की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और गलत तरीके से की गई हैं, तो यह

उनके अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह उन आरोपों की जांच करें और सच्चाई तक पहुंचें ताकि रिपोर्ट न्यायालय के लिए वास्तविक सहायता कर सके। पक्षकार सिविल कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पर आपत्तियां उठा सकते हैं, जिसके पास आयुक्त की रिपोर्ट की सहायता से खातों की शुद्धता या अन्यथा का पता लगाने का अवसर भी होगा। अपीलकर्ता के वकील के लिए यह तर्क कि यदि आयुक्त को ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाती है, तो वह सिविल कोर्ट के कार्यों को हड़प लेगा, जिसे बाद में त्याग नहीं सकता है, निराधार है। किसी भी पद त्याग का कोई सवाल नहीं है और स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने का उद्देश्य खातों को सही ढंग से समझने और संशोधित करने के लिए सहायता प्राप्त करना है ताकि एक सिविल कोर्ट पार्टियों की देयता के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो सके। एक आयुक्त की सिफारिश को एक सिविल कोर्ट के निष्कर्षों के साथ समान नहीं किया जा सकता है और भले ही वह अपनी सिफारिश को एक खोज के रूप में वर्णित करता है, फिर भी पार्टियों के लिए स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियों को प्राथमिकता देना खुला है और सिविल कोर्ट को सबूत लेने और स्थानीय आयुक्त की जांच करने के बाद अंततः निर्णय लेना है, यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट सही है या नहीं, या खातों की सही स्थिति क्या है।

(14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्ट रूप से तथ्यों पर अलग-अलग हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करते हैं। *असर्मदल के मामले* (1) में, सिंध न्यायालय को यह ज्ञात नहीं हो सका कि आयुक्त के संदर्भ की शर्तें क्या थीं, जबकि खातों का अस्तित्व भी निश्चित नहीं था। इन परिस्थितियों में, विद्वान न्यायिक आयुक्त ने टिप्पणी की कि आयुक्त

के संदर्भ की शर्तों को निपटाना हमेशा अदालत के लिए बेहतर होता है और आम तौर पर यह अदालत को पता लगाना था कि कौन सी किताबें सही थीं या गलत थीं। कोई पूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया गया था। उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त को किसी प्रकार की अस्पष्ट और अनिश्चित शक्ति दी गई थी, जिन्होंने लगभग उन्हीं कार्यों का निर्वहन किया जो न्यायालय को करना था। हमारे समक्ष मामले में, पार्टियों के बयानों के आधार पर एक प्रारंभिक डिक्री की गई थी और आदेश 26, नियम 12 द्वारा संलग्न विशिष्ट निर्देश दिए गए थे।

(15)तुलसी राम का मामला (2), भी विद्वान वकील के लिए कोई सहायता नहीं है। अधीनस्थ न्यायाधीश ने उस मामले में कतिपय मुद्दे तैयार किए और साक्ष्य लेने और सभी मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया। बाद में, अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग समय पर आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया और उन सभी ने अलग-अलग रिपोर्ट दी। यह ऐसी स्थिति थी जब कोई रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी, अधीनस्थ न्यायाधीश ने साक्ष्य दर्ज करने के बजाय विभिन्न आयुक्तों द्वारा दर्ज किए गए सबूतों पर मामले का निपटारा किया। इन परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि विवाद में विभिन्न बिंदु हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सबूतों पर निर्धारित करने की आवश्यकता है और अधीनस्थ न्यायाधीश ने पूरे मामले को आयुक्त को सौंपने में गलती की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा तय किए *गए भरत चंद्र चक्रवर्ती के मामले* (4) में, विवाद एक प्रिंसिपल और उनके एजेंट के बीच था।

(3) ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 148.

(4) ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 319.

ट्रायल कोर्ट ने न केवल दोनों पक्षों में से किसी से देय राशि की मात्रा की जांच के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया, लेकिन यह भी तय किया कि एजेंट उत्तरदायी था या नहीं। यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं था जिसे निपटाने के लिए आयुक्त को बुलाया जा सके। *राम कृष्ण मुराजी के मामले* (3) में, इसमें कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न शामिल थे। यह निर्धारित किया जाना था कि क्या कुछ अनुबंध वास्तविक व्यापारिक लेनदेन थे या प्रकृति में सट्टा थे। स्थानीय आयुक्त द्वारा इस तरह के मुद्दे का निर्धारण प्रिवी काउंसिल द्वारा अनियमित माना गया था। हमारे सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(16)अन्य दो आपत्तियां जिन्हें अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आधे-अधूरे मन से दबाया गया है, ट्रायल कोर्ट में आपत्तियां संख्या (3) और (4) हैं। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को उसके संबंधों द्वारा दी गई राशि के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने खुद स्थानीय आयुक्त के समक्ष कहा था कि फर्म को दी गई राशि उनके संबंधों से संबंधित थी और उनका उनसे कोई लेना-देना नहीं था। इस बयान के मद्देनजर, स्थानीय आयुक्त और ट्रायल कोर्ट के पास उनकी याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उन्हें उस राशि के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए जो उनकी नहीं थी। एक अन्य आपत्ति यह थी कि फिरोजी लाल फर्म के भागीदार थे और इस प्रकार खातों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी थे। फिरोजी लाल का बयान स्वयं विरोधाभासी है और स्थानीय आयुक्त और ट्रायल कोर्ट दोनों ने उस पर कोई भरोसा नहीं किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील उस सबूत में कुछ भी इंगित करने में सक्षम नहीं हैं जो हमें उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सके।

(17) पूर्वगामी कारणों से, अपील में कोई दम नहीं है।

(18) वादी के वकील शंभू लाल पुरी ने क्रॉस ऑपत्तियां दर्ज की हैं। विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष मुख्य तर्क यह है कि वादी को कोयले के वैगनों के कारण अधिक क्रेडिट दिया जाना चाहिए था, जिसके संबंध में उसने माल ढुलाई का भुगतान किया था, जो प्रतिवादी के स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार, प्रत्येक वैगन के लिए 550 रुपये से 700 रुपये था। वादी द्वारा अपनी दलील के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और ट्रायल कोर्ट ने एक समग्र तस्वीर लेते हुए वादी को स्थानीय आयुक्त की अनुमति के अलावा 600 रुपये अधिक का क्रेडिट दिया। ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है जिसके आधार पर हम निचली अदालत के निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर सकें।

(19)हमारे समक्ष किसी अन्य मुद्दे का आग्रह नहीं किया गया है।

(20) नतीजा यह है कि अपील और क्रॉस-आपत्ति दोनों को खारिज कर दिया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

न्यायाधीश पंडित (21) मैं अपने विद्वान भाई से सहमत हूं कि अपील और क्रॉस-आपत्ति दोनों को खारिज कर दिया जाए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाए।

(22) हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क के संबंध में कि स्थानीय आयुक्त के पास कानून के तहत साक्ष्य की जांच करने और पार्टियों पर दायित्व तय करने के लिए अपने निष्कर्ष देने की कोई शक्ति नहीं है, मेरा विचार है कि इस मामले में इस प्रश्न पर निर्णय लेना अनावश्यक है, क्योंकि मेरे विद्वान भाई के पास, यदि मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो सही कहा गया है: "- प्रतिवादी अपीलकर्ता

को स्थानीय आयुक्त द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देने से रोका जाता है जब यह उसके और वादी प्रतिवादी के कहने पर किया गया था। दोनों ने एक अनुकूल निर्णय के लिए अपना मौका लेते हुए स्थानीय आयुक्त के समक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की। बही-खातों में प्रविष्टियों की सच्चाई की जांच करने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के स्थानीय आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई आपत्ति उनके समक्ष नहीं उठाई गई थी और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी नहीं। वर्तमान अपील में यह पहली बार है कि स्थानीय आयुक्त द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता के बारे में आपत्ति ली जा रही है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा